न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 205/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– साजनराम पुत्र तोगाराम 2– पूराराम पुत्र तोगाराम 3– अमरी देवी पत्नी तोगाराम 4– मोटाराम पुत्र करनाराम 5– गुमनाराम पुत्र करनाराम जतियान जाट निवासी बूठ जेतमाल तहसील बाडमेर		1– पूनमाराम पुत्र कुम्भाराम 2– हरजीराम पुत्र जगुराम 3– धनाराम पुत्र जगुराम 4– भंवराराम पुत्र भभूतराम 5– आईदानराम पुत्र रायचन्द्र 6– स्वरूपा गिरधारीराम समस्त जाति जाट निवासीगण बूठ जेतमाल, तहसील बाडमेर 7– सरपंच ग्राम पंचायत बूठ जेतमाल 8– तहसीलदार बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी मुख्यालय बाडमेर जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 196/2018 अनवान पूनमाराम बनाम हरजीराम वगैरा मे दिनांक 16–1–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एन.आर.चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 1 से 7 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 16–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 पूनमाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी मुख्यालय बाडमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत नेखमबंदी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि अपने खातेदारी के खेत मौजा पांचाणियो की ढाणी के खसरा नंबर 76/1 रकबा 45.17 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 19.13 बीघा, खसरा नंबर 75 रकबा 06 बिस्वा कुल 65.16 बिस्वा तथा मौमा बेसलाणियो का तला के खेत खसरा नंबर 54 रकबा 42.06 बीघा आये हुए है जो विप्रार्थीगण के खेतो के सेढा–सेढ आया हुआ है तथा प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेतो के सेढो पर जो पुरानी मांठे व कणे थे, जो आंधियो की वजह से बिखर गये है जिसके कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेतो के सेढो का सही ज्ञान नही होने से बरसात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के सेढो को तोड देते है और प्रार्थी की कब्जासुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त कर लेते है जिससे प्राथी एवं विप्रार्थी के बीच सेढो बाबत हमेशा तनाजा बना रहता है इसलिए उक्त खातेदारी के खेतो की पक्की नेखमबंदी करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–1–09 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबर 54 रकबा 42.06 बीघा तथा मौजा पांचाणियो की ढाणी के खसरा नंबर 76/1 रकबा 45.17 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 19.13 बीघा, खसरा नंबर 75 रकबा 06 बिस्वा कुल 65.16 बिस्वा भूमि के चारो

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु उप तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त कर दिया तथा पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के नोटिस तामिल के बावजुद अनुपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि पटवार हल्का बूठ जेतमाल के खसरा नंबर 72 मे रकबा 68.14 बिस्वा तथा खसरा नंबर 56 रकबा 38.8 बीघा आई हुई है तथा रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 76/1 अपीलांटगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 72 से लगती हुई आई हुई है परंतु रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण एवं सम्पूर्ण सेढा पडोसियो को पक्षकार बनाये बिना ही प्रस्तुत किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण संख्या 1 से 3 जो स्व0 खातेदार नागाराम के विधिक वारिसान है तथा अपीलाधीन भूमि के सेढा पडौसी होते हुए उन्हे पक्षकार बनाये बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अन्य पक्षकारान के नोटिस प्रोपर तामिल करवाये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–1–2009 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण एवं अन्य पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नेखमबंदी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु उचित आदेश प्रदान करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 76/1 अपीलांटगण के खातेदारी का खेत खसरा नंबर 72 की सीमाएं लगती हुई है तथा अपीलांटगण रेस्पो0 संख्या 1 का सेढा पडौसी होते हुए उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया तथा सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायसंगत है ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक16–1–2009 आदि का भी अध्ययन किया । पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांटगण का खसरा नंबर 72 रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी के खसरा नंबर 76/1 से लगता हुआ होने से अपीलांटगण रेस्पो0 संख्या 1 के

सेढा पडौसी है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण को पक्षकार नही बनाया है जबकि पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनवाई का अवसर देकर धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना था । वर्तमान अपीलांट मे अपीलांट का यही मुख्य कथन है कि वे अपीलाधीन भूमि के सेढा पडौसी होते हुए उन्हे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया है, जो रेकर्ड के अवलोकन से सही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी मुख्यालय बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 196/2008 मे पारित निर्णय दिनांक 16–1–2009 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन भूमि के अपीलांटगण एवं सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 16–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर